engineers think in terms of immediate measures. They will build a *bandh* or a spur. But the problem is much more serious. It is not a question of Rs. 150 crores. One estimate is of Rs. 1,300 crores. I don't want to quote the figures. What I am saying is this. Our engineers also do not know what the possible consequences would be. Maybe, even at the national level there is not sufficient awareness.

The experts should study the possible consequences. Some engineer gives some estimates; that will not really help. The solution does not lie in giving Rs. 150 crores. Even Rs. 1300 crores is not the solution.

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, हमने योजना आयोग से पहले ही कह दिया है कि एक्सपर्ट कमेटी शार्ट टर्म और लांग टर्म, दोनों समस्याओं पर विचार करेगी और एक महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ही इस संबंध में कोई कार्यवाही ही जाएगी।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What about Ministerial coordination? It involves a number of Ministries. The hon. Minister must assure the House that there will proper coordination.

श्री जनेश्वर मिश्र: मैडम, इस कटान के कारण फरक्का बैराज, सड़कें और रेल की लाइनें, तीनों ही प्रभावित होने वाले हैं। इसलिए हम रेल मंत्रालय से और सर्फेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इस संबंध में सम्पर्क करेंगे और योजना आयोग व वित्त मंत्रालय से भी सलाह करेंगे कि इस संकट से कैसे उबरा जा सकता है।

SHRI JOYANTA ROY: All of you are concerned with the possible alignment of the river Padma with Bhagirathi. But are you aware of the fact that in the downstream of Farakka, 85 kilometres from the Farakka barrage there is erosion? It starts at Akheriganj and continues towards Bairal. Nobody has bothered about this situation. It is a the peculiarity of this region. If the Minister is thinking of setting up a working group to look into this problem, I would request him to send this group to study this area. Please visit Akheriganj, Alaipur and Daultpur where there is a great danger of the river Padma aligning with Bhairab.

श्री जनेश्वर मिश्र: माननीय सदस्य ने जिस इलाके की चर्चा की वह शायद माणिकचंद घाट है।

श्री जयन्त राय: नहीं, नहीं, माणिकचंद घाट नही, डाउनस्ट्रीट है।

श्री जनेश्वर मिश्र: उस इलाके के निचले हिस्से में जो भी समस्याएं आएंगी, उन पर विचार करके ही यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): The House stands adjourned till 2.30 PM.

The House then adjourned for lunch at fifty-three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-five minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, Shri Ramakant Khalap is to withdraw the Hire-purchase (Amendment) Bill, 1989.

THE HIRE-PURCHASE (AMENDMENT) BILL, 1989

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS, LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): Sir, I beg to move for leave to withdraw the Hire-Purchase (Amendment) Bill, 1989.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Sir, I withdraw the Bill.

SHRI SATISH AGARWAL (Rajasthan): Are you intending to bring in another Bill in place of this Bill?

SHRI RAMAKANT D. KHALAP: Yes. What is being done is this. This entire issue is being referred to the Law

Commission as per the wishes and directions of the Standing Committee connected with this Ministry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now you have to move a Bill.

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1996.

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS LEGISLATIVE DEPARTMENT AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, this Bill seeks to amend the Fourth Schedule of the Representtion of People Act, 1950 in relation to the States of Karnataka and Uttar Pradesh. This became necessary because the respective States have enacted their own laws in respect of Panchayati Raj and they have changed the nomenclature of the local bodies. In the case of Karnataka, there was a demand that the Gram Panchayats should also be included in the Fourth Schedule so that the members of the Gram Panchayats also become entitled to vote in the elections of the respective Councils. Sir, this has been incorporated and the Bill has now come before this House. This is a consequential Bill and I, therefore, commend this to this House.

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri K. Rahman Khan not here. Prof. Vijay Kumar Malhotra.

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो दो इलेक्ट्रोरल रिफार्म बिल कर्नाटक और यू०पी० के बारे में मंत्री जी लाये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कंप्रेहेंसिव इलेक्ट्रोरल रिफार्म के बारे में जो बिल आप लाने वाले थे उसका क्या हुआ जिसके लिए कई सालों से लगातार मांग उठ रही है और हर बार उसका वायदा किया जाता है। आपने जुलाई के महीने में कुछ छोटी-छोटी चीजों को तो पास कर दिया। जैसे उसमें यह कर दिया कि एक आदमी दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे मालूम है कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रोरल बिल आप इसके लिए यहां पर लाये हैं तो उस बिल के बारे में क्या पोजीशन है, क्यों नहीं आप उसको ला रहे हैं? मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहता हूं कि यह जो गवर्नमेंट फण्डिंग है इसके बारे में आपने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है और आपने इलेक्ट्रोनिक मशीन के बारे में भी कोई फैसला नहीं किया है कि उसका क्या होगा, आइडेन्टिटी कार्ड के बारे में आपने न तो कोई बजट.... **(व्यवधान)**...

श्री रमाकांत डी० खलप: माफ कीजिए यह सवाल इससे ताल्लुक नहीं रखता है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जी, मुझे मालूम है और मैं यह जानना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**... यह इसलिए ताल्लुक रखता है कि आप इस बिल को लाये हैं। आप इस बिल को पीसिज में क्यों ला रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपकी कम्पलेंट कंप्रेहिंसिव बिल के बारे में है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: आप एक-एक करके पीसिज में चीजें ला रहे हैं। कुछ थोड़ा-सा हिस्सा पहले पास कर दिया और थोड़ा सा आप बाद में यहां पर ले आये कि इसमें पंचायतें भी आ जानी चाहिएं। जो असली मुद्दा है उसको आप एवाइड करते चले जा रहे हैं। अब यू०पी० में इलैक्शन हो जायेगा और फिर अन्य राज्यों की असेम्बलियों के इलैक्शन हो जायेंगे। कोई गवर्नमेंट इसके बारे में, इस हाउस के सामने वायदा करने को तैयार है कि कब तक आप इसके बारे में कंप्रिहेंसिव बिल लायेंगे जिसके अन्दर गवर्नमेंट फंडिंग का मामला हो, बूथ कैप्चरिंग को रोकने का मामला हो, मसल पावर, मनी पावर को रोकने का मामला हो, आइडेंटिटी कार्ड का मामला हो, इलैक्ट्रोनिक मशीन का मामला हो क्योंकि बजट में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस साल में आप कोई ऐसी चीज नहीं करने जा रहे हैं। अगर यह पोजिशन है तो यह छोटा सा बिल लाकर ग्राम पंचायत का और दूसरा कि यू०पी० में कार्पोरेशन एड कर दो, उससे कोई मसला हल नहीं होगा। इस मौके पर जबकि आप येह अमैंडमेंट बिल लाये हैं, मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि कंप्रिहेंसिव इलेक्ट्रोरल बिल के बारे में पीपुल रिप्रजेन्टेशन एक्ट में चेंजिंग करनी है, या अन्य किसी एक्ट में चेंजिंग करनी है तो उसको भी आपको जल्दी लाना चाहिये और आप एश्योर करें कि इस हाउस में कब तक इसके बारे में फाइनल फैसला हो जायेगा?